

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, मा.प्र.से.  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार)  
अधीक्षक, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना।

पटना, दिनांक : 28-12-2018

विषय:- स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या-20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी- 110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹19,37,39,422/- ( उन्नीस करोड़ सैतीस लाख उनचालीस हजार चार सौ बाईस रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश संख्या-21(7)ब दिनांक-14.06.18, 32(7)ब दिनांक-20.09.18, 40(7)ब दिनांक-01.10.18, 46(7)ब दिनांक-11.10.18 एवं 55(7)ब दिनांक-12.10.18 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹19,37,39,422/- ( उन्नीस करोड़ सैतीस लाख उनचालीस हजार चार सौ बाईस रु०) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है(विवरणी संलग्न)।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं० 2561 वि० (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि० दिनांक-2.04.2014 तथा 295वि० दिनांक-04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या-20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी-110-अस्पताल तथा औषधालय-0013-सदर एवं अनुमंडल अस्पताल उपशीर्ष विपत्र कोड- 20-2210011100013 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सामग्री एवं पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन / अधीक्षक, प्रभावती अस्पताल, गया, गुरु गोविन्द सिंह सदर अस्पताल, पटना तथा शेष इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित सदर अस्पताल के अधीक्षक एवं उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल एवं गर्दनीबाग अस्पताल, पटना/ निदेशक / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, न्यू गार्डिनर रोड, पटना होंगे तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

5. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल एवं सदर प्रमंडलीय अस्पतालों में कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी। इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी। एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

6. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे। अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/ क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख को देंगे। सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं।

(०)

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है ।  
सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।
7. यह मात्र आवंटन आदेश है । इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय । व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरुद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।
9. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-96(9) दिनांक-18.02.99, 142(9) दिनांक-15.03.2001, 241(9) दिनांक-21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक-16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।
10. आवंटित राशि से किए गए क्य में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।
11. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है ।
12. वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय ।
13. सामग्री एवं पूर्तियों मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।
14. संविदा सेवाएँ (28-02) तथा व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28-04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के अधीक्षक/उपाधीक्षक होंगे ।
15. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।
16. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,



( राधेश्याम साह )

सरकार के विशेष सचिव

बिनोद

ज्ञापांक : 76 (7) 5

पटना, दिनांक : 28-12-18

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी-7/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

बिनोद

विवरण-1

क्र.सं.	जिला का नाम	वैतन (01-01)	जोड़न यापन मत्ता (01-03)	मकान मत्ता (01-04)	परिवहन मत्ता (01-05)	चिकित्सा मत्ता (01-06)	अन्य मत्ता (01-07)	योग वेतन	विक्रिया प्रतिपूर्ति (06-01)	यात्रा व्यय (11-01)	कार्यालय व्यय (13-01)	वाहन का ईंधन एवं रखरखाव (13-02)	दूरभाष (13-03)	विधुल प्रभार (13-04)	वर्दी/पोसाक (13-06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21-01)	दवा मत्ता (21-02)	आहार/पक्य (21-03)	संवैदा सेवाएँ (28-02)	व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ (28-04)	मशीने एवं उपकरण (52-01)	कुल	अनुवृत्ति
1	नालन्दा	2000000	300000	1200000	0	40000	200000	3740000	0	0	0	0	0	200000	0	0	6000000	0	5000000	0	14940000	338324.10.18	
2	भोजपुर (आर)	2000000	300000	1200000	0	40000	200000	3740000	0	0	0	0	0	200000	0	0	6000000	0	2500000	0	12440000	411827.10.18	
3	रोहतास (साधारण)	2000000	300000	1200000	0	40000	200000	3740000	24742	195000	1000000	0	0	200000	0	0	5000000	500000	1000000	100000	9037000	28271.12.18	
4	गया	2300000	690000	1610000	0	46000	345000	4991000	0	0	156000	0	0	200000	0	0	25000000	500000	8000000	100000	13416354	2112/25.10.18	
5	औरंगाबाद	1200000	144000	696000	0	1200	84000	2125200	226134	30000	1000000	500000	45000	200000	0	0	25000000	500000	2000000	0	10240000	2997/27.10.18	
6	नयादा	2000000	300000	1400000	0	80000	400000	4180000	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2656500	3012/23.10.18
7	सारण (कपरा)	1500000	180000	870000	0	1500	105000	2656500	0	0	50000	0	0	200000	0	0	200000	200000	2000000	1000000	7196500	38-37/26.10.18	
8	शिवान	1500000	180000	870000	0	1500	105000	2656500	0	0	50000	0	0	200000	0	0	200000	200000	2000000	1000000	7196500	38-37/26.10.18	
9	बिहारी	2000000	240000	1160000	0	2000	140000	3542000	0	0	0	0	0	200000	0	0	200000	500000	3000000	500000	10132000	2750/8.11.18	
10	मधुबनी	2000000	240000	1160000	0	2000	140000	3542000	0	150000	220000	0	30000	100000	0	0	1000000	500000	3000000	500000	10132000	2750/8.11.18	
11	समस्तीपुर	2000000	240000	1160000	0	2000	140000	3542000	0	76000	100000	0	0	200000	0	0	1000000	500000	2000000	1000000	8608000	2239/25.10.18	
12	सहरसा	2000000	240000	1160000	0	2000	140000	3542000	0	0	0	0	0	100000	0	0	1300000	0	0	0	4942000	2368/10.12.18	
13	पूर्णिमा	2000000	240000	1160000	0	2000	140000	3542000	0	0	4000	0	0	200000	0	0	6000000	500000	0	200000	11036000	2931/27.10.18	
14	कटिहार	2000000	240000	1160000	0	2000	140000	3542000	61075	75000	75000	0	0	200000	0	0	5500000	500000	1400000	100000	11553375	2473/26.10.18	
15	भागलपुर	2000000	240000	1160000	0	2000	140000	3542000	1006515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	6638515	3905/24.10.18	
16	मुंगेर	2000000	240000	1160000	0	2000	140000	3542000	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	3542000	3906/24.10.18	
17	बेगूसराय	2300000	690000	1610000	0	46000	345000	4991000	0	0	60000	0	0	200000	0	0	1000000	500000	0	0	7801000	2172/1.11.18	
18	शेखपुरा	1200000	144000	696000	0	1200	84000	2125200	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	2325200	1390/25.10.18	
19	सिंहभर	1200000	144000	696000	0	1200	84000	2125200	0	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	50000	2214200	957/24.10.18	
20	सुपौल	2000000	240000	1160000	0	2000	140000	3542000	0	20000	60000	0	0	200000	0	0	2000000	500000	0	2000000	8422000	1583/1.11.18	
21	बक्सर	2000000	240000	1400000	0	2000	140000	3782000	413136	0	20000	0	0	190000	0	0	0	200000	1000000	0	5605136	2537/26.10.18	
22	लखीसराय	1800000	216000	1044000	0	1800	126000	3187800	0	0	50000	20000	0	100000	0	0	0	0	0	0	3357800	1873/1.12.18	
23	बौंदा	2000000	240000	1160000	0	2000	140000	3542000	0	20000	50000	0	0	0	0	0	90000	200000	0	200000	4102000	2258/25.10.18	
24	अररिया	2000000	240000	1160000	0	2000	140000	3542000	0	0	5000	20000	110000	180000	24500	90000	0	200000	500000	0	4871500	2618/24.10.18	
25	जमुई	1200000	144000	696000	0	1200	84000	2125200	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2353200	1941/23.10.18	
26	दरभंगा	1200000	144000	696000	0	1200	84000	2125200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2125200	2224/22.11.18	
27	बिहिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	2590000	2189/11.12.18	
28	गुरु गोविन्द सिंह सरदार अस्पताल, पटना	2000000	240000	1160000	5000000	2000	140000	8542000	1000000	0	0	0	0	200000	0	0	0	0	1000000	0	9842000	773/11.10.18	
	कुल	49400000	6996000	29804000	5000000	328800	4266000	95794800	1731622	666000	1130000	540000	1850000	3470000	71500	1090000	33000000	7600000	9760500	35100000	3600000	193739422	

76(7) ए  
28-12-18

(उत्नीस करोंड सेतीस लाख उनबतीस हजार चार सौ बईस) रु. मात्र

सरकार के विशेष सचिव  
कॉन्ट्रोल

## उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
	2	3	4	5	6	7
1	वैतन (0013-01-01)	2443470000	2393100000	49400000	2442500000	970000
2	जीवन यापन भता (0013-01-03)	366520000	358965000	6996000	365961000	559000
3	मकान किराया भता (0013-01-04)	390950000	360430000	29804000	390234000	716000
4	परिवहन भता (0013-01-05)	18550000	1905000	5000000	6905000	11645000
5	चिकित्सा भता (0013-01-06)	46150000	45078500	328800	45407300	742700
6	अन्य भता (0013-01-07)	244340000	239310000	4266000	243576000	764000
7	व्योहार अग्रिम (0013-01-08)	1000000	0	0	0	1000000
	योग 20-2210.01.110.0013.01 वैतन	3510980000	3398788500	95794800	3494583300	16396700
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0013-06-01)	2500000	656642	1731622	2388264	111736
9	यात्रा व्यय (0013-11-01)	2530000	1415000	666000	2081000	449000
10	कार्यालय व्यय (0013-13-01)	9006000	3895000	1130000	5025000	3981000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0013-13-02)	3930000	2010000	540000	2550000	1380000
12	दूरभाष (0013-13-03)	5000000	2620000	185000	2805000	2195000
13	विद्युत प्रभार (0013-13-04)	58520000	55050000	3470000	58520000	0
14	विधि प्रभार (0013-13-05)	1000000	210000	0	210000	790000
15	वर्षा / पोषाक (0013-13-06)	997000	925500	71500	997000	0
16	विद्युत प्रभार डी.पी.एस. (0013-13-07)	1000	0	0	0	1000
17	किराया महसूल एवं कर (0013-14-01)	1810000	1810000	0	1810000	0
18	प्रशिक्षण व्यय (0013-20-03)	27000000	0	0	0	27000000
19	सामग्री एवं पूर्ति (0013-21-01)	27000000	25910000	1090000	27000000	0
20	दवा भंडार (0013-21-02)	300000000	266500000	33000000	299500000	500000
21	आहार / पशु (0013-21-03)	120000000	6706250	7600000	7466250	45333750
22	लघु कार्य (0013-27-01)	1000	0	0	0	1000
23	अनुसंधान एवं मरम्मत (0013-27-02)	50000000	0	0	0	50000000
24	संविदा सेवार् (0013-28-02)	800000000	789501550	9760500	799262050	737950
25	व्यवसायिक / कला तकनीकी सेवार् (0013-28-04)	700000000	456500000	35100000	491600000	208400000
26	अनुपूर्य अनुदान (0013-37-01)	800000	0	0	0	800000
27	मशीने एवं उपकरण (0013-52-01)	50000000	35950000	3600000	39550000	10450000
	कुल योग:-	5671075000	5108808442	193739422	5302547864	368527136

76 (7) द

28-12-18

सरकार के विशेष सचिव

दिनांक